भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †2839
दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदान का उपयोग

†2839. एडवोकेट प्रिया सरोज:
श्री पुष्पेंद्र सरोजः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की क्या करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपयोग किए गए और जारी किए गए कुल वित्त आयोग अनुदानों का वर्ष-वार और राज्य- वार ब्यौरा क्या है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति क्या है;

(ख) इन अनुदानों के तहत विलंबित उपयोगिता, पर्याप्त अप्रयुक्त शेष राशि या अपूर्ण कार्यों की रिपोर्ट करने वाले स्थानीय निकायों की संख्या कितनी है और केंद्रीय समीक्षाओं में इसके लिए चिन्हित किए गए कारणों का विशेषकर उत्तर प्रदेश के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पंचायत स्तर पर योजना बनाने, तकनीकी स्वीकृति और निष्पादन क्षमता में कमियों के संबंध में किए गए निरीक्षणों या प्रदर्शन समीक्षाओं के मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पंचायतों का ई-ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समेकन किस सीमा तक हुआ है और अनिवार्य ऑनलाइन लेखांकन एवं लेखापरीक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन का राज्य-वार और विशेषकर उत्तर प्रदेश के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वित्त आयोग के अनुदानों की पारदर्शिता, समय पर उपयोग और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए सुधारात्मक निगरानी और क्षमता निर्माण उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): पिछले पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत जारी अनुदान का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा दिनांक 14.07.2021 के पत्र के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को 15वें वित्त आयोग अनुदान के कार्यान्वयन के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष दो किस्तों में अनुदान जारी किया जाता है। राज्यों को अगले किस्त जारी करने पर विचार करने के लिए

राज्य को जारी की गई पिछली किस्त के संबंध में निर्धारित प्रोफार्मा में अनुदान हस्तांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। इस मामले में अलग से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 5 के संदर्भ में, पंचायतें, स्थानीय सरकार होने के नाते, राज्यों के दायरे में हैं। तदनुसार, पंचायतों से संबंधित सभी मामले राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और पंचायतों के निरीक्षण या प्रदर्शन समीक्षा से संबंधित जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(घ) और (ङ)**:** मंत्रालय अप्रैल 2020 से *ई-ग्रामस्वराज वेबपोर्टल* (https://egramswaraj.gov.in) का प्रबंधन कर रहा है, जो पंचायती वित्तीय कार्यों—योजना से लेकर भुगतान तक—को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, के लिए एकीकृत करता है। इस पोर्टल पर प्रगति से जुड़ा डेटा प्रदर्शित किया जाता है ताकि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर समवर्ती निगरानी की जा सके। मंत्रालय ने *ई-ग्रामस्वराज* को *पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS)* के साथ भी एकीकृत किया है, जिससे ग्राम पंचायतों के लिए विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में डिजिटल भुगतान संभव हो सके। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2020 में *ऑडिट-ऑनलाइन* एप्लिकेशन लॉन्च किया गया, जो पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन का ऑनलाइन ऑडिट करने में मदद करता है। यह एप्लिकेशन *केंद्रीय वित्त आयोग* की निधियों के पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करता है और पंचायत स्तर पर वित्तीय निगरानी को सुदृढ़ करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के लिए राज्य-वार ई-ग्राम स्वराज को अपनाने की स्थिति **अनुलग्नक-II** में दी गई है। ऑडिट अवधि 2023-24 और 2024-25 के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति, दिनाक 05.03.2026 तक, क्रमशः **अनुलग्नक-III** व **अनुलग्नक-IV** में दी गई है।

मंत्रालय *राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)* नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना भी लागू कर रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों की *क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (CB&T)* करना है, ताकि समग्र पंचायत शासन में सुधार हो सके।

*****

अनुलग्नक-I

ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदानों के उपयोग के संबंध में लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2839 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान पंचायतों के लिए जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण

क्रम सं	राज्य	कुल (2020-21 से 2025-26)			
		आवंटन (करोड़ रुपये में)	जारी कि गई राशि (करोड़ रुपये में)	खर्च / उपयोग (करोड़ रुपये में)	खर्च / उपयोग (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	12,856	12,681	6,413	51%
2	अरुणाचल प्रदेश	1,131	436	295	68%
3	असम	7,857	7,109	3,730	52%
4	बिहार	24,579	23,340	17,074	73%
5	छत्तीसगढ़	7,123	6,515	6,906	106%*
6	गोवा	368	215	78	36%
7	गुजरात	15,650	14,368	11,255	78%
8	हरियाणा	6,193	5,820	4,380	75%
9	हिमाचल प्रदेश	2,102	1,984	1,635	82%
10	झारखंड	8,274	6,501	5,346	82%
11	कर्नाटक	15,756	11,906	11,054	93%
12	केरल	7,972	7,322	4,099	56%
13	मध्य प्रदेश	19,511	16,060	13,412	84%
14	महाराष्ट्र	28,540	23,097	19,418	84%
15	मणिपुर	867	243	97	40%
16	मेघालय	893	277	324	117%*
17	मिजोरम	455	396	374	94%
18	नागालैंड	611	265	-	0%
19	ओडिशा	11,058	10,966	8,058	73%
20	पंजाब	6,798	5,884	6,231	106%*
21	राजस्थान	18,915	16,443	13,024	79%
22	सिक्किम	207	195	138	71%
23	तमिलनाडु	17,666	15,420	12,129	79%
24	तेलंगाना	9,048	6,697	2,681	40%
25	त्रिपुरा	937	936	964	103%*
26	उत्तर प्रदेश	47,764	45,408	42,982	95%
27	उत्तराखंड	2,813	2,436	1,839	75%
28	पश्चिम बंगाल	21,611	20,321	18,879	93%
	कुल	2,97,555	2,63,238	2,12,817	81%

*नोट: इन राज्यों के मामले में इस्तेमाल का प्रतिशत, ग्रांट की रकम पर मिले ब्याज और उसके खर्च की वजह से 100% से ज़्यादा दिख रहा है।

अनुलग्नक-II

ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदानों के उपयोग के संबंध में लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2839 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के लिए राज्य-वार ई-ग्राम स्वराज को अपनाने की स्थिति

क्रं. सं	राज्य	ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	ग्राम पंचायत ऑनबोर्डे	ग्राम पंचायतें और समकक्ष ऑनलाइन भुगतान के साथ	ब्लॉक पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	ब्लॉक पंचायत ऑन बोर्डे	ब्लॉक पंचायतें और समकक्ष ऑन लाइन भुगतान के साथ	जिला पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	जिला पंचायत ऑन बोर्डे	जिला पंचायतें और समकक्ष ऑनलाइन भुगतान के साथ
1	आंध्र प्रदेश	13327	13320	13025	660	660	649	13	13	13
2	अरूणाचल प्रदेश	2108	2108	1486	0	0	0	27	26	22
3	असम	2663	2186	2075	182	182	179	30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8047	534	534	529	38	38	38
5	छत्तीसगढ़	11692	11687	11313	146	146	146	33	33	27
6	गोवा	191	191	116	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	14619	14596	13800	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6227	6227	6010	143	143	141	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3615	3562	92	81	81	12	12	12
10	झारखण्ड	4345	4345	4252	264	264	262	24	24	24
11	कर्नाटक	5949	5949	5938	238	232	93	31	31	23
12	केरल	941	941	937	152	152	152	14	14	14
13	मध्य प्रदेश	23011	23011	22194	313	313	309	52	52	52
14	महाराष्ट्र	28002	27934	26438	351	351	265	34	34	33
15	मणिपुर	3175	161	113	0	0	0	12	6	4

16	मेधालय	6884	0	0	0	0	0	3	3	3
17	मिजोरम	855	841	817	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	1312	984	0	0	0	0	0	0	0
19	औड़िशा	6794	6794	6785	314	314	313	30	30	30
20	पंजाब	13236	13233	12341	155	152	150	23	23	22
21	राजस्थान	13128	11184	10774	361	353	351	37	33	33
22	सिक्किम	199	199	196	0	0	0	6	6	6
23	तमिलनाडु	12482	12482	12437	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	12760	12674	9570	565	547	400	32	32	27
25	त्रिपुरा	1194	1194	1192	75	75	75	9	9	9
26	उत्तराखण्ड	7817	7790	6926	95	95	94	13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	57695	57693	57579	826	826	820	75	75	74
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3337	345	345	345	22	21	21
कुल		265614	252732	241260	6447	6401	5990	663	650	620

अनुलग्नक – III

ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदानों के उपयोग के संबंध में लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2839 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

ऑडिट अवधि 2023-24 के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति, 05.03.2026 तक

क्रं. सं	राज्य	पीआरआई की संख्या	तैयार की गईं ऑडिट योजनाएँ	% प्रगति	तैयार की गईं ऑडिट रिपोर्ट	% प्रगति
1	आंध्र प्रदेश	14,001	13,999	99.99%	13,994	99.95%
2	अरूणाचल प्रदेश	2,133	2,131	99.91%	2,125	99.62%
3	असम	2,884	2,418	83.84%	2,418	83.84%
4	बिहार	8,627	8,626	99.99%	8,621	99.93%
5	छत्तीसगढ़	11,829	11,825	99.97%	11,809	99.83%
6	गोवा	193	191	98.96%	191	98.96%
7	गुजरात	14,946	14,919	99.82%	14,880	99.56%
8	हरियाणा	6,393	6,384	99.86%	6,360	99.48%
9	हिमाचल प्रदेश	3,708	3,708	100.00%	3,708	100.00%
10	झारखण्ड	4,635	4,633	99.96%	3,504	75.60%
11	कर्नाटक	6,220	5,950	95.66%	5,950	95.66%
12	केरल	1,107	1,107	100.00%	1,107	100.00%
13	मध्य प्रदेश	23,377	23,376	100.00%	23,312	99.72%
14	महाराष्ट्र	28,341	28,313	99.90%	28,069	99.04%
15	मणिपुर	3,823	-	0.00%	-	0.00%
16	मेधालय	3	-	0.00%	-	0.00%
17	मिजोरम	835	835	100.00%	810	97.01%
18	नागालैंड	1,326	-	0.00%	-	0.00%
19	औड़िशा	7,138	7,138	100.00%	7,133	99.93%
20	पंजाब	13,410	13,373	99.72%	13,307	99.23%
21	राजस्थान	11,650	11,633	99.85%	11,381	97.69%
22	सिक्किम	205	205	100.00%	204	99.51%
23	तमिलनाडु	12,949	12,951	100.02%	12,949	100.00%
24	तेलंगाना	13,344	13,341	99.98%	13,313	99.77%
25	त्रिपुरा	1,278	1,260	98.59%	1,260	98.59%
26	उत्तराखण्ड	7,892	7,892	100.00%	7,890	99.97%
27	उत्तर प्रदेश	58,655	58,649	99.99%	58,598	99.90%
28	पश्चिम बंगाल	3,706	3,594	96.98%	3,581	96.63%
	कुल	2,64,608	2,58,451	97.67%	2,56,474	96.93%

अनुलग्नक – IV

ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदानों के उपयोग के संबंध में लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2839 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

ऑडिट अवधि 2024-25 के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति, 05.03.2026 तक

क्रं. सं	राज्य	पीआरआई की संख्या	तैयार की गईं ऑडिट योजनाएँ	% प्रगति	तैयार की गईं ऑडिट रिपोर्ट	% प्रगति
1	आंध्र प्रदेश	14,000	13,942	99.59%	12,238	87.41%
2	अरूणाचल प्रदेश	2,135	1,212	56.77%	504	23.61%
3	असम	2,997	-	0.00%	-	0.00%
4	बिहार	8,625	7,599	88.10%	1,447	16.78%
5	छत्तीसगढ़	11,892	471	3.96%	-	0.00%
6	गोवा	193	116	60.10%	-	0.00%
7	गुजरात	14,968	14,936	99.79%	14,863	99.30%
8	हरियाणा	6,395	6,377	99.72%	3,988	62.36%
9	हिमाचल प्रदेश	3,708	3,247	87.57%	2,908	78.43%
10	झारखण्ड	4,635	11	0.24%	-	0.00%
11	कर्नाटक	6,221	5,950	95.64%	5,949	95.63%
12	केरल	1,107	-	0.00%	-	0.00%
13	मध्य प्रदेश	23,376	20,843	89.16%	12,040	51.51%
14	महाराष्ट्र	28,337	21,748	76.75%	13,460	47.50%
15	मणिपुर	3,823	-	0.00%	-	0.00%
16	मेधालय	6,857	-	0.00%	-	0.00%
17	मिजोरम	843	2	0.24%	-	0.00%
18	नागालैंड	1,327	-	0.00%	-	0.00%
19	औड़िशा	7,138	7,137	99.99%	5,232	73.30%
20	पंजाब	13,414	11,159	83.19%	10,158	75.73%
21	राजस्थान	11,624	11,604	99.83%	7,268	62.53%
22	सिक्किम	205	205	100.00%	205	100.00%
23	तमिलनाडु	12,949	9,472	73.15%	9,123	70.45%
24	तेलंगाना	13,598	13,300	97.81%	12,906	94.91%
25	त्रिपुरा	1,278	1,277	99.92%	1,198	93.74%
26	उत्तराखण्ड	7,895	-	0.00%	-	0.00%
27	उत्तर प्रदेश	58,592	58,594	100.00%	37,357	63.76%
28	पश्चिम बंगाल	3,706	3,594	96.98%	3,230	87.16%

कुल	**2,71,838**	**2,12,796**	**78.28%**	**1,54,074**	**56.68%**

***